कार्यालयः—प्रभारी अधिकारी, (न्यायिक) मालखाना अनुभाग
जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर—चांपा (छ0ग0)

// सूचना //

क्रमांक..6../मालखाना/2024 जांजगीर, दिनांक 07/03/24

मालखाना मे रखी हुई सोने—चांदी के आभूषणों की नीलामी कार्यवाही के संबंध में

जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर मे स्थित मालखाना अनुभाग मे चांदी से बने आभूषणों की नीलामी कार्यवाही की जानी है जिसमें स्थानीय सोनारों (ज्वेलर्स) को नीलामी कार्यवाही में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

नीलामी हेतु निम्नलिखित शर्ते है :—

1 नीलामी की कार्यवाही दिनांक 18/03/2024 दिन सोमवार को प्रातः 10.00 बजे से प्रारंभ होगी।

2 नीलामी का स्थान जिला न्यायालय, जांजगीर—चांपा परिसर होगा।

3 विभिन्न दाण्डिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्ति चांदी के आभूषण (जो है, जैसी है परिस्थिति अनुसार) जो कि नीलामी कि लिए रखी जावेगी उसका न्यूनतम मूल्य, वर्तमान दशा में स्थित उस संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य होगा। जिसके नीलामी के समय अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को विक्रय कर दी जावेगी।

4 जिले के स्थानीय सोनार (ज्वेलर्स) नीलामी में भाग ले सकेगा किन्तु न्यायालयीन कर्मचारी या उसका कोई सदस्य या उसका नातेदार/रिस्तेदार अथवा अधिवक्ता एवं मुंशी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।

5 विक्रय मूल्य तत्काल नगद जमा किया जावेगा और विक्रित संपत्ति को तत्काल सौंप दिया जावेगा। विक्रित संपत्ति की जमा रकम के संबंध में केता को तत्काल रसीद प्रदान की जावेगी।

6 नीलामी में भाग लेने वाले सोनार (ज्वेलर्स) अपनी स्वयं की पहचान संबंधी आधार कार्ड एवं गुमास्ता (लायसेंस) की छायाप्रति साथ लेकर आयेंगे।

7 कुल जमा राशि को संभव हुआ तो उसी कार्य दिवस में या अनिवार्य रूप आगामी कार्य दिवस में शासन के पक्ष में बैंक चालान के जरिये जमा किया जावेगा।

8 नीलामी की जाने वाली संपत्ति का वजन नीलामी दिनांक 18/03/2024 को केताओं के समक्ष किया जावेगा, स्थानीय सोनार से आभूषण का वजन बाजार मूल्य के अनुसार न्यूनतम बोली के मूल्य का निर्धारण किया गया है।

9 नीलामी कृत संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को दावा आपत्ति हो तो वह अपनी दावा आपत्ति नीलामी दिनांक 18/03/2024 के ठीक 1 दिन पहले तक प्रस्तुत कर सकेगा। अपनी दावा आपत्ति के संबंध में आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर संबंधित संपत्ति से संबंधित नीलामी की कार्यवाही रोक दी जावेगी और दावा आपत्ति का निराकरण किया जावेगा।

10 प्राप्त दावा सभी आपत्तियों का निराकरण उसी दिन का किया जावेगा। यदि कोई, दावा आपत्ति नहीं होती है, तब ऐसी दशा में नीलामी की प्रकिया/कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी।

11 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नीलामी तारीख के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुमोदन पश्चात् प्रेषित)

अध्यक्ष
नीलामी समिति
मालखाना अनुभाग जांजगीर,
जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर—चांपा(छ0ग0)